

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर (उ.प्र.) के कुलपति के पद पर
नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या-05/2020

दिनांक 05 मार्च, 2020


वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 10 सन् 1973) के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन गठित समिति द्वारा अनुसंधित पैनल में से कुलाधिपति के द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु 68 वर्ष पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए रहेगा। कुलपति के पद हेतु केवल वही व्यक्ति पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसलिये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता, एवं संस्थागत वचनबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को विख्यात शिक्षाविद होने के साथ-साथ ठोस प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राज भवन की वेबसाइट "www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन तथा जीवनवृत्त (02 प्रतियों में) अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, लखनऊ-226027 (उत्तर प्रदेश) को दिनांक 10 अप्रैल, 2020 तक पंजीकृत/स्पीड पोस्ट से अथवा ऑन लाइन प्रेषित कर सकते हैं। पोस्ट से प्रेषित लिफाफे पर "वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर (उ.प्र.) के कुलपति पद के लिए आवेदन" अवश्य लिखा जाये।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।


अपर मुख्य सचिव
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश

RAJ BHAVAN, LUCKNOW

**NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF VICE
CHANCELLOR FOR VEER BAHADUR SINGH PURVANCHAL UNIVERSITY,
JAUNPUR (U.P.)**

Advt. No. 05/2020

Dated 05 March, 2020


It is proposed to appoint the Vice-Chancellor for the Veer Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur (U.P.), established under The Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (No. 10 of 1973) by the Chancellor, out of a panel to be recommended by a Committee appointed in terms of Section 12 of the said Act.

The Vice-Chancellor shall hold office for a term of 03 years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty eight years whichever is earlier. Only such person shall be eligible for appointment to the office of Vice-Chancellor who has not attained the age of 65 years.

As the Vice Chancellor is the Principal Executive and Academic Officer of the University, he should have highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment. He/She is required to have sound administrative acumen besides being a distinguished person in the field of Education.

The applicant for the post of Vice-Chancellor may send his application in prescribed format available on the website "www.upgovernor.gov.in" along with bio-data (in two copies) to the Additional Chief Secretary to the Governor, Rajbhavan, Lucknow- 226027 (Uttar Pradesh) on or before **10 April, 2020** either by Registered/Speed Post or Online. "**Application for the post of Vice-Chancellor, Veer Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur (U.P.)**" should be super-scribed on the envelope. if sent by post

Application received after the prescribed date shall not be considered.


Additional Chief Secretary to the Governor,
Uttar Pradesh